



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062021-227536
CG-DL-E-12062021-227536

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2077]
No. 2077]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISTHA 19, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 2237(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1837(अ), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में NH43 के कि.मी. 331 से कि.मी. 363 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर . डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर छत्तीसगढ़) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 23/6/2020 " को "अम्बिकावाणी " और "रिहन्द टाईम्स " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में NH43 के कि.मी. 331 से कि.मी.363 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर . डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर छत्तीसगढ़) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़ जिले का नाम: सूरजपुर					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सूरजपुर				
	गांव का नाम: कुरुवा				
1	2069 / 5	निजी	सिंचित कृषि	0.04	पवन, लवन, आ. दिल्लू सिलोचनी बेवा दिल्लू जाति रजवार (२०६९/५)
	गांव का नाम: पचीरा				
2	1022 / 1	निजी	सिंचित कृषि	0.05	सुखम आ. सोनू जाति रजवार (१०२२/१)
3	1022 / 2	निजी	सिंचित कृषि	0.03	जयसाय आ. सोनू जाति रजवार (१०२२/२)
			कुल	0.12	

[फा. सं. 12037/52/2015/CG/P-5/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 2237(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1837(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH43 on the stretch of land from Km 331 to Km 363 (O/o Sub Division Officer (Revenue) Surajpur . district surajpur chhattisgarh) in the district of SURAJPUR in the state of CHHATTISGARH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Ambikawani” and “Rihand times” both dated 23/6/2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by

the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH43 in the stretch of land from NH43 (O/o Sub Division Officer (Revenue) Surajpur . district surajpur chhattisgarh) in the district of SURAJPUR in the state of CHHATTISGARH

State: CHHATTISGARH			District: SURAJPUR		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Surajpur				
	Village: Kuruwa				
1	2069 / 5	Private	Irrigated Agriculture	0.04	pawan, Lawan s/o dillu silochani widow dillu cast rajwar 2069/5
	Village: Pachira				
2	1022 / 1	Private	Irrigated Agriculture	0.05	Sukham s/o sonu cast rajwar 1022/1
3	1022 / 2	Private	Irrigated Agriculture	0.03	Jaysai s/o sonu cast rajwar 1022/2
			TOTAL	0.12	

[F. No. 12037/52/2015/CG/P-5/3D]

RAJEESH GUPTA, Director